



भारत STAMP DUTY 00000
बिहार JUDICIAL
"प्ररूप 26"
24.3.2014
(नियम 4क देखिए)
BIHAR
375298
1471 8514437
INDIA **Zero*Zero*Zero*Zero*One** Zero*Zero**



No. 6887 Date 24-3-2014



29 - नालन्दा

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लौकसंभ्रा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
भाग-क

Dilip Kumar
NOTARY
Hilsa Nalanda (Bihar)

मैं लता सिन्हा **पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति - प्रमोद कुमार
आयु 38 वर्ष, जो ग्राम - सुप्रीकाहा, पो. - उकठारसराय
शाना - उकठारसराय, जिला - नालन्दा, पिन - 801301

विवेक (डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं लता सिन्हा (**सजनैतिक बल का नाम) इस खड़ा
किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रही हूँ।


(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 174- इस्लामपुर विधानसभा, विवेक (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं
34 के क्रम सं 402 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8541049935 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...
शून्य है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।



Certified that Sri Lata Sinha
who has identified by Sri K.S.R. Singh
Advocate has affirmed on S.A before
me the facts stated in the Affidavit.

K.S.R. Singh
NOTARY
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S 8 (1)(b)
of the Notary Act

1.	स्वयं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं होता

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई	लागू नहीं होता



है/हैं	लागू नहीं होता
--------	----------------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : लागू नहीं होता

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: लागू नहीं होता

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता

(ग)	अधिरूपित दंड	लागू नहीं है।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं है।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।



क्रम	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1 पुत्री	आश्रित - 2 पुत्र	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	3000/-	5000/-	3000/-	1300/-	लागू नहीं है।
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	43,000/- मध्य खिहर आश्रीज बैंक रक्तगिरसराय बचत खाता	6-8-13-80,000 7-10-11-91,467 24-9-11-2,00,000 मध्य खिहर आश्रीज बैंक रक्तगिरसराय विनिधान खाता 53,600/- S. B. Jena/हर	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	6-9-13-20,000 शुल्क 2010 2007-50,000 शुल्क 2010 के लिये	28-8-05-1,08,000 9-4-06-20,000 25-9-10-30,000 11-8-11-25,000 29-8-11-20,000 3-9-11-10,000 22-4-13-65,000 शुल्क 2010 2007-50,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10 मात्र मूल्य 30,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आरितियां जैसे कि ऋण/हित का मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,46,000/-	7,08,067/-	3000/-	1300/-	शुल्क

आ. स्थावर आरितियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आरितियों का भी विवरण दिया जाता है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	2010-240 2010-1176-429 2010-1158-5 2010-695-831 2010-720-430	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं होता	0.54 बी०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति	लागू नहीं होता	हां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं है	थाना सं-119 रा सं-657	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं है	1330 वर्ग फुट	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं है	840 वर्ग फुट	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं है	हां	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं है	11,00,000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं है	स्वयं	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं है	14,72,000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं है	पिपडा राज्य विकास निगम, बैंक 50000/- 210 काय है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं है	50,000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है



(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	14,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	14,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लेबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं गृहणी

(ख) पति या पत्नी राजस्व कार्रगारी, आंचल - बक्सरपुर, कारिहर

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

बैचलर - 1988 - ए.बी.ए. ए.बी.ए. उच्च विद्यालय, सुनाबंडा, ओरीसा, अडमिस्ट्र - 1988 - ए.बी.ए. ए.बी.ए. महाविद्यालय, फोतेरा
स्नातक - 1991 - ए.बी.ए. ए.बी.ए. महाविद्यालय, बखरपुर विश्वविद्यालय, सुनाबंडा - 1993 - महाविद्यालय, फोतेरा

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था. का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं लता सिन्हा				
2	डाक का पता	ग्राम - सुण्डरिया, पो-शकंज, रसराय पिन - 801301, बिहार जिला - नालंदा				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	29 - नाबन्दा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं होता				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं होता				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं होता				
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दक्षिण आय			
	(क) अभ्यर्थी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,46,000/-	7,08,067	3000/-	1300/-	लागू नहीं



ख	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं है	14,72,000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं है	14,000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं है	50,000/-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : मैट्रिक - 1986 - ए० सी० ए० वी० उच्च विद्यालय, खुनाबेडा कोड़ीका इन्टरमीडिएट - 1988 - ए० सी० एंड ए० महाविद्यालय, कोड़ीका स्नातक - 1991 - बी० ए० वी० महाविद्यालय, बरहामपुर विद्यालय स्नातकोत्तर - 1993 - गजधर विश्वविद्यालय, बोधगया					



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24-03-2014 को सत्यापित किया गया।

Identify the deponent

Lata Sinha.....

who has put his/her signature/LTI in my presence

लता सिन्हा
अभिसाक्षी

टिप्पण शपथपत्र नामांकन प्रारंभ करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए। (Kumar Raj Manojan Singh)

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर